



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3086]

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 6, 2018/श्रावण 15, 1940

No. 3086]

NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 6, 2018/SHRAVANA 15, 1940

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 अगस्त, 2018

का.आ. 3881(अ).—केन्द्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 58 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 3467(अ), तारीख 16 जुलाई, 2018 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

2. उक्त अधिसूचना में,—

(i) सारणी में, क्रम संख्या 1.2 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियाँ रखी जाएंगी, अर्थात् :-

क्रम सं.	धुरी का प्रकार	अधिकतम सुरक्षित धुरी भार
"1.1	दो टायर के साथ एक धुरी	7.0 टन"

(ii) पैरा 3 के पश्चात और स्पष्टीकरण से पहले, निम्नलिखित पैरा अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

"4. यानों के सकल यान भार को पुनरीक्षित करने के लिए, विद्यमान यान मॉडल के लिए पैरा 2 में विनिर्दिष्ट समग्र सीमाओं के अधीन रहते हुए, उपरोक्त अधिकतम सुरक्षित धुरी को, जो 16 जुलाई से पहले दिए गए टाइप अनुमोदन प्रमाणपत्र के अनुसार विनिर्मित है, विचार में लिया जाएगा।"

[फा. सं. आर.टी.—11028/11/2017—एम.वी.एल.]

अभय दामले, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खण्ड (ii), तारीख 16 जुलाई, 2018 में का.आ. 3467(अ), तारीख 16 जुलाई, 2018 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

**MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS****NOTIFICATION**

New Delhi, the 6th August, 2018

**S.O. 3881(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 58 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, number S.O. 3467(E), dated the 16<sup>th</sup> July, 2018, namely:—

2. In the said notification,—

(i) in the table, for the Sl. No. 1.2 and entries relating thereto, the following Sl. No. and entries shall be substituted, namely :-

Sl. No.	Axle Type	Maximum Safe Axle Weight
“1.2	Single Axle with two Tyres	7.0 tonnes” ;

(ii) After paragraph number 3 and before the explanation, the following paragraph shall be inserted, namely:

“4. The above maximum safe axle weight shall be considered for revising the Gross Vehicle Weight of the vehicles, subject to overall limits specified in paragraph 2 for the existing vehicle models, that are manufactured in accordance with the type approval certificate granted prior to 16<sup>th</sup> July, 2018.”

[F. No. RT-11028/11/2017-MVL]

ABHAY DAMLE, Jt. Secy.

**Note :** Principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated 16th July, 2018 vide S.O. 3467(E), dated 16th July, 2018.